बलात्कार

सबक सिखाने का ज़रिया बन गया

मणिमाला

हरियाणा का नूंह जिला औरतों पर होने वाले अत्याचारों का क्रूर उदाहरण बन कर सामने आया है। हैरानी की बात है कि सब जानते हुए भी पुलिस व प्रशासन यहां अनदेखी करते रहे हैं–एक रिपोर्ट

नूंह जिले में हाल में सामूहिक बलात्कार की दो घटनाएं हुईं। दोनों ही घटनाएं सबक सिखाने के इरादे से हुईं। एक इसलिए कि बहू दहेज में मोटर साईकिल लेकर नहीं आई। दूसरी इसलिए कि बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। दोनों ही लड़कियां इन्साफ के लिए लड़ रही हैं, पर अब तक तो इन्साफ काफी दूर है उनसे। नूंह हरियाणा में है।

मोटर साइकिल न मिलने पर बलात्कार

बसगरी पर उसके पति की मौजूदगी में बलात्कार हुआ। सिर्फ पति की मौजूदगी में नहीं, बल्कि उसकी मदद से हुआ। चार बलात्कारियों में एक उसका पति स्वयं था। दूसरा ननदोई। साथ में दो और लोग। यह सब बसगरी के साथ शादी की रात को हुआ। हां, उसी रात को, जब वह नया घर, नई गृहस्थी सजाने-बसाने के सपने देख रही थी। यह सब इसलिए हुआ कि दहेज में मोटर साईकिल नहीं मिली थी।

कुछ लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की थी। बरकती उसमें एक थी। बलात्कारियों ने उसके बच्चे को भी उठाकर फेंक दिया था।

मामला पंचायत में पहुंचा, पर फैसला नहीं हुआ

बलात्कार का यह मामला पंचायत में पहुंचा, पर लटक गया। लड़के वालों की ताकत के सामने पंचायत की कुछ नहीं चलती और पंचायत के सामने पुलिस की नहीं चलती। लड़के वाले सामाजिक तौर पर भी मजबूत हैं, और राजनीतिक तौर पर भी। लड़की का गोत्र मंगारिया है। लड़के का दहगल। इस क्षेत्र में दहगल गोत्र वालों की संख्या ज्यादा है। उनके 360 गांव हैं। मंगारिया गोत्र का सिर्फ एक गांव।

जब कभी पंचायत बैठती है तो लड़की वालों की ओर से एक जन होता है। लड़के वालों की ओर से 50 आदमी होते हैं। नतीजा यह होता है कि बलात्कारियों के पक्ष में ज्यादा लोग बोलते हैं। ज्यादा जोर से बोलते हैं। ज्यादा देर तक बोलते हैं। पंचायत इनके साथ हो लेती है। जो भी सच

कहने की हिम्मत करता है, उसे मारपीट कर चुप करा दिया जाता है। बरकती, जिसके बच्चे को उठाकर फेंक दिया गया था, उसने सच बयान करने की कोशिश की थी। उसे सरपंच के सामने ही मारा-पीटा गया। सब कुछ देख सुनकर भी लोग चुप बैठे रहे। पंचायत भी चुप रही।

पुलिस भी चुप है

यह इलाका फिरोजपुर नमक पंचायत में पड़ता है। वहां के उपसरपंच ने बताया कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, पर पुलिस कुछ नहीं कर रही।

नूंह थाने के थाना प्रभारी भगतराम का कहना है कि वे पंचायत से डरते हैं। यहां का रिवाज है कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो पंचायत हमें ही छह माह के लिए बन्दी बना लेगी। इतनी डरी हुई पुलिस भला क्या कर सकती है।

घटना की खबर मिलने पर दिल्ली की कुछ महिला संस्थाओं की कार्यकर्ता नूंह गईं। लड़की से, पंचो-सरपंचों से और पुलिस से मिलीं। काफी भाग-दौड़ करने पर बलात्कारियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सक्रिय सहयोग करने वाले सास-ससुर, नन्द व अन्य रिश्तेदार अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं।

बरकती ससुराल नहीं जायेगी

लड़की ने कह रखा है कि वह ससुराल नहीं जायेगी। किसी भी हालत में नहीं जायेगी। जायेगी भी क्यों? जहां उस पर बलात्कार हुआ हो, वहां उसे क्यों जाना चाहिए? वह कहती है कि अगर पंचायत ने इंसाफ नहीं किया तो वह आत्महत्या कर लेगी। आत्महत्या भी क्यों? इसका मतलब यह हुआ कि पंचायत के साथ-साथ हम और आप पर भी उसे भरोसा नहीं है। आइये उसे भरोसा दिलाएं। क्या लड़की के लिए सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं– ससुराल का या फिर आत्यमहत्या का...? नहीं। रास्ते और भी हैं।

अपनी मर्जी से शादी: सजा बलात्कार

नूंह जिले के ही सुढाका गांव में बलात्कार की एक और घटना घटी। यहां तो बलात्कार करने वालों में स्वयं सरपंच भी शामिल रहा। वजह सिर्फ़ इतनी थी कि लड़की ने अपनी पसन्द से शादी कर ली थी। गांव को यह गवारा नहीं था।

लड़की बेचने का रिवाज़ है

इस गांव में विकास का कोई असर नहीं दिखता। जमाने के रफ्तार से भी इस गांव का कोई लेना देना नहीं है। यहां अभी भी बेटियों को बेचने का रिवाज बदस्तूर जारी है। मैमुन का सौदा भी तय हो चुका था। उसके माता-पिता को उसके बदले में 15000 रुपये मिलने वाले थे।

ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां लड़की के माता-पिता दहेज लेते हैं। जिस तरह देश के ज्यादातर हिस्सों में लड़के और लड़के वाले दहेज लेते हैं। जब मैमुन ने अपनी पसन्द से शादी कर ली तो उन्हें ये रुपये नहीं मिले। इस घाटे को वे बर्दाश्त न कर सके।

मैमुन और इदरिस दोनों ही मुसलमान हैं, लेकिन इनकी जाति अलग-अलग है—गांव वालों की नाराजगी का एक कारण यह भी है। सरपंच के नेतृत्व में गांव वालों ने उन पर हमला किया और मैमुन पर बलात्कार किया। किसी तरह से बचते-बचते वे लोग राष्ट्रीय महिला आयोग के दरवाजे तक पहुंचे।

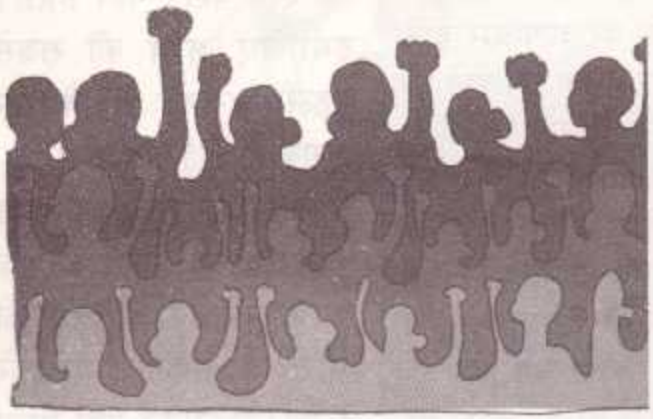

राष्ट्रीय महिला आयोग तक

आयोग की अध्यक्ष मोहिनी गिरी, पद्मा सेठ और सईदा हमीद मैमुन तथा इदरीस को साथ लेकर उनके गांव पहुंचे। जैसे ही गाड़ी इदरिस के घर के बाहर रुकी, गांव वालों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। मैमुन को गाड़ी से खींच कर ले गए। गांव की जोर-जबरदस्ती के सामने महिला आयोग भी बेबस हो गया। आयोग के सदस्य इदरिस को लेकर लौट आए। गृह मंत्री के हस्तक्षेप के बाद अब मैमुन नारी निकेतन में है।

सोचना यह है कि

अत्याचार-व्यभिचार के सामने महिला आयोग जैसी संस्थाएं भी अपने आपको बेबस महसूस करने लगे या पुलिस अत्याचारियों से डरने लगे तो क्या किया जाए? कैसे किया जाए? इन्सान किसकी मदद मांगे? किस पर भरोसा करे? आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गयी कि महिला आयोग को वापस आ जाना पड़ा।

ऐसी स्थिति में औरतें अपने-आप रास्ता कैसे तलाशें? तथा सामाजिक संस्थाएं कैसे मदद करें? ये सवाल हमारे सामने हैं।

नूंह में बलात्कार की दो-दो घटनाएं हुईं पर बोलने वाला कोई नहीं मिला, लड़ने वाला कोई नहीं मिला। लोग-बाग दुखी तो हुए पर अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हुए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी गांव में बलात्कार की घटना हो, पर किसी को बुरा न लगे, किसी का मन न तड़पे। कई लोग होंगे जो इसके खिलाफ बोलना चाहते होंगे, लड़ना चाहते होंगे, पर वे कर नहीं पाए ऐसा। कारण?

सामाजिक संस्थाओं का अभाव

शायद यह कि वहां ऐसा कोई महिला संगठन नहीं है जो इन सवालों को उठाये। अन्याय के खिलाफ आवाज बुलन्द करे। स्थानीय सहयोग न मिलने की वजह से राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि भी कुछ कर न सके। यहां तक की उनकी कार को भी बदमाशों ने घेर रखा था। सच्चाई तो यह है कि जब तक स्थानीय तौर पर औरतें खड़ी नहीं हो पायेंगी तब तक सिर्फ बाहरी सहारे कुछ नहीं कर सकते।

दूरदराज तक इस इलाके में कोई महिला संगठन नहीं है। नतीजा यह हुआ कि कोई बातचीत करने वाले भी नहीं है। जब कभी ऐसी कोई घटना घटती है तब पीड़ित औरत और ज्यादा डर जाती है। अपराधी और अधिक डराने लग जाते हैं और बाकी लोग चुप हो जाते हैं। उनके

मुंह में ताला लग जाता है। कोई तो हो जो पीड़ित औरत का डर कम करने में मदद करे। लोगों की चुप्पी तोड़े। कौन कर सकता है ये काम?

यह काम तो किसी न किसी संस्था को ही करना होगा। अच्छी बात हुई है कि छोटे छोटे कस्बों के स्तर पर भी गैर सरकारी महिला संस्थाएं सक्रिय होने लगी हैं। कई कई जगहों पर तो एक साथ कई महिला संस्थाएं सक्रिय हैं। ऐसा नहीं कि जहां कई महिला संस्थाएं सक्रिय हैं वहां महिलाओं पर अत्याचार होते ही नहीं, पर इतना जरूर है कि कम होते हैं। अगर होते भी हैं तो अनदेखे नहीं रह जाते। उन पर प्रतिक्रिया होती है, विरोध होता है। सामान्य जन भी अपराधियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाते हैं। इससे पीड़ित औरत की पीड़ा कम हो न हो, डर तो जरूर कम होता है। उसका अपना डर जितना कम होता है उसी हिसाब से अपराधियों का डर बढ़ता है। ऐसा नहीं कि इस बात से सामाजिक काम करने वाली औरतें या संस्थाएं वाकिफ़ नहीं हैं। हम सबको इस बात का गहरा अहसास है कि अगर नूंह में भी कोई महिला संस्था होती तो वहां भी इन घटनाओं के खिलाफ़ आवाज़ उठती। उसी तरह जैसे सहारनपुर में उठी। इतनी तेज आवाज उठी, इतना तगड़ा संघर्ष हुआ कि पुलिस भी इस आवाज़ को दबा न सकी। अगर ज़ुल्म हुआ तो प्रतिकार भी हुआ। ज़ुल्मियों को जेल भी हुई।

नूंह में हुई बलात्कार की घटनाओं का कोई सशक्त विरोध नहीं हो पाया। अगर वहां कोई महिला संस्था काम कर रही होती तो ऐसा कतई नहीं होता। इसीलिए आज की सबसे पहली जरूरत है कि इस इलाके में कोई न कोई महिला संगठन काम शुरू करे। यह काम वहां की औरतें भी शुरू कर सकती हैं। आसपास की औरतें कर सकती हैं या दूसरे इलाकों से जाकर वहां संस्था बना सकती हैं। चाहे जैसे भी हो यह काम करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि इस इलाके में ज़ुल्म का यह इतिहास दोहराया न जाए तो हमें अपना इतिहास बनाना होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग या बाहर से थोड़े समय के लिए आए कोई कार्यकर्ता बहुत कुछ नहीं कर सकते, सिवाय 'जुल्म-जुल्म हुआ...' यह रोना रोने के। रोने से 'तकदीरें' नहीं बदला करतीं। इसके लिए तो खुद को बदलना पड़ता है और इसके लिए चाहिए एक सशक्त संगठन जो खुद का भी सहारा बने और दूसरों को भी सहारा दे। □

ऐसा नहीं कि जहां कई महिला संस्थाएं सक्रिय हैं वहां महिलाओं पर अत्याचार होते ही नहीं, पर इतना जरूर है कि कम होते हैं। अगर होते भी हैं तो अनदेखे नहीं रह जाते। उन पर प्रतिक्रिया होती है, विरोध होता है। सामान्य जन भी अपराधियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाते हैं। इससे पीड़ित औरत की पीड़ा कम हो न हो, डर तो जरूर कम होता है। उसका अपना डर जितना कम होता है उसी हिसाब से अपराधियों का डर बढ़ता है।

बेटी को भी प्यार दो
शिक्षा और अधिकार दो।